

प्रेस नोट



सीआरपीएफ-रामपुर हमले के दोषी 06 अभियुक्तों को सजा

वर्ष 2008 में हुए हमले में 7 CRPF के जवान शहीद हुए थे, व 1 नागरिक की मृत्यु हुई थी

दिनांक : 01 नवम्बर, 2019

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2008 में CRPF के रामपुर स्थित ग्रुप सेण्टर पर कुछ अतान्कवादियों द्वारा हमला कर दिया गया था। इस हमले में CRPF के 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, 1 नागरिक की मृत्यु हुई थी व कई जवान तथा नागरिक गंभीर घायल हुए थे। इस घटना के सम्बन्ध में कुल 8 व्यक्तियों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में कुल 4 अभियोग पंजीकृत हुए थे।

हमले के दोषी सभी.... आरोपियों को आज दिनांक 01.11.19 को माननीय न्यायलय एडीजे-3 द्वारा दोषी मानते हुएवर्ष का कारावास वरुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एटीएस उ.प्र. द्वारा उक्त मुकदमें की सघन पैरवी प्राथमिकता के आधार पर की गयी।

पंजीकृत अभियोग

- मु.अ.सं – 08/2008, धारा-
- मु.अ.सं – 208/2008, धारा-
- मु.अ.सं – 209/2008, धारा-
- मु.अ.सं – 210/2008, धारा-

आरोपी अभियुक्तगण

1. **शरीफ उर्फ सुहेल उर्फ साजिद उर्फ अली उर्फ अनवार उर्फ संजीव पुत्र अयूब**
निवासी : बदनपुर, थाना-खंजेरिया, जनपद-रामपुर, उ.प्र.।
(धारा – 148, 149, 302, 307, 333, 121, 122 भादवि, ¾ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधि. व 15, 16, 20 UAPAAct में दोषी)
2. **बाबा उर्फ जंगबहादुर पुत्र खान बहादुर**
निवासी : मिलक, काँगडू, थाना- मूडा पाण्डेय, जनपद-मुरादाबाद, उ.प्र.।
(धारा – 148, 149, 302, 307, 333, 121, 122 भादवि, ¾ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधि., 27(3) आयुध अधिनियम व 15, 16, 20 UAPAAct में दोषी)
3. **मुहम्मद कौसर पुत्र कमरुद्दीन**
निवासी : आजाद नगर, थाना- कुंडा, जनपद-प्रतापगढ़, उ.प्र.।
(धारा –302, 120(बी), 307, 121, 121(अ) भादवि व 18, 20 UAPAAct में दोषी)
4. **गुलाब खान पुत्र समशेर खान**
निवासी : शाह गढ़, थाना-बहेड़ी, जनपद-बरेली, उ.प्र.।
(धारा –302, 120(बी), 307, 121, 121(अ) भादवि व 18, 20 UAPAAct में दोषी)
5. **फहीम अरशद अंसारी पुत्र मुहम्मद युसूफ अंसारी (मुख्य अभियोग में नहीं)**
निवासी : चाल नं. 330,समन 2409, मोतीलाल नगर नं 2, MG रोड, मुंबई, महाराष्ट्र।

- (धारा –420, 467, 468, 471, 121, 121(अ), 200 भादवि व 25(1) आयुध अधिनियम में दोषी)
6. **इमरान उर्फ अजय उर्फ असद उर्फ रमीज़ राजा उर्फ उबैद पुत्र मुहम्मद आजम**
निवासी : समानी थाना-चौक सदर, जनपद-भिम्बर, पाक अधिकृत कश्मीर।
(धारा – 148, 149, 302, 307, 333, 121, 122 भादवि, ¼ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधि. व 15, 16, 20 UAPAct में दोषी)
 7. **मुहम्मद फारुख उर्फ अबू उर्फ जुल्फिकार नयन उर्फ अबू जार उर्फ अमर सिंह पुत्र बूटा पट्टी**
निवासी – सांगढी वाला, धौकल, थाना-सदर, जनपद-गुन्जरावाला, पंजाब, पकिस्तान।
(धारा – 148, 149, 302, 307, 333, 121, 122 भादवि, ¼ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधि. व 15, 16, 20 UAPAct में दोषी)
 8. **सहाबुद्दीन उर्फ सबाउददीन उर्फ सबाह उर्फ संजीव उर्फ फरहा उर्फ सबा उर्फ अबू अल-कासिम उर्फ बरार पुत्र शब्बीर अहमद उर्फ वकील अहमद उर्फ वकील साहब**
निवासी-गंधवार बायाँ पंडौल, थाना-सकरी, जनपद-मधुबनी, बिहार।
(धारा – 148, 149, 302, 307, 333, 121, 122 भादवि, ¼ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधि., 27 आयुध अधिनियम व 15, 16, 20 UAPAct में दोषी)

उपरोक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा CRPF हमले के मामले में दोषी माना है। उपरोक्त अभियुक्तों की सजा पर कल दिनांक 02 नवम्बर, 2019 को माननीय न्यायालय एडीजे-3 में सुनवाई होगी।